ईमेल/अति आवश्यक/महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय लखनऊ।

पत्र संख्याः चार–पेंशन–1–(परिपत्र)–2020

दिनांकःदिसम्बर03 ,2020

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष /कार्यालयाध्यक्ष
पुलिस विभाग–उत्तर प्रदेश ।

विषयः– पुलिस विभाग के समूह ''घ'' के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त सम्बन्ध में कृपया अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्याः17/2020/सा–3– 465/दस–2020–26/98 वित्त(सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ दिनांकः27 नवम्बर, 2020 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्त(सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–10/ 2020/सा–3–221/दस–2020–26/98 दिनांकः15–5–2020 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि समूह ''घ'' के सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण कार्यालयाध्यक्षों के स्थान पर मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन कार्यालयों द्वारा किया जायेगा।

2– शासनादेश संख्यासा–3–1338/दस–912/85 दिनांकः16–7–1985 द्वारा पुलिस विभाग के समूह ''ख'' एवं ''ग'' के कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण का कार्य वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय को प्रतिनिधानित किया गया। शासनादेश संख्याःसा–3–697/दस–2698 दिनांकः08–10–1999 द्वारा समूह ''ख'' एवं ''ग'' के समस्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण का कार्य मण्डलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को सौपा गया परन्तु शासनादेश संख्या–सा–3–1792/दस–26/98 दिनांकः15 नवम्बर,2000 द्वारा पुलिस विभाग के समूह ''ख'' एव ''ग'' के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण का कार्य मण्डलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन से हटाकर वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद को पुनः प्रतिनिधानित किया गया।

3– इस प्रकार सम्प्रति पुलिस विभाग के समूह ''ख'' एवं ''ग'' के कार्मिकों की पेंशन वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय द्वारा पूर्वव्रत स्वीकृत की जा रही है। जबकि अन्य सरकारी विभागों के समूह ''ख'' एवं ''ग'' के कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण मण्डलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन द्वारा किया जा रहा है।

4– प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पुलिस विभाग के समूह ''घ'' के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का भी निस्तारण वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जायेगा।

5– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा ऐसे प्रकरण जिनमें समूह ''घ'' का कोई कर्मचारी इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व सेवानिवृत्त हुआ हो परन्तु उसका पेंशन भुगतान आदेश इस शासनादेश के निर्गत होने तक जारी न किया गया हो, भी इस आदेश से आच्छादित होंगे।

6– अतः उपरोक्त सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन का उक्त संदर्भित शासनादेश की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उसमें दिये गये निर्देशानुसार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार कराकर पुलिस मुख्यालय भिजवाकर निस्तारण कराने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त समूह ''घ'' के जिन कार्मिकों का पेंशन भुगतानादेश अभी तक निर्गत न किया गया हो उन कार्मिकों का भी प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय भेजकर उनके पेंशन प्रकरणों का भी निस्तारण पुलिस मुख्यालय, लखनऊ से कराया जाय।

संलग्नकः यथोपरि।

3/12/20

(हरि चरण सिंह)
वित्त नियंत्रक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः–1– विशेष सचिव, वित्त(सामान्य)अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन,लखनऊ को उनके उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–2– अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक, के जी0एस0ओ0 मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः–3– अपर पुलिस महानिदेशक,मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–4– अनुभाग अधिकारी सम्प्रेक्षा(अनुभाग–21) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः–5– प्रभारी आई0टी0सेल पुलिस मुख्यालय, लखनऊ को ई–मेल कराने हेतु।

संख्या: 17/2020/सा-3-465/दस-2020-26/98

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1.महानिदेशक,
पुलिस मुख्यालय
लखनऊ।
2.वित्त नियंत्रक,
पुलिस मुख्यालय,
लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 27 नवम्बर, 2020

विषयः पुलिस विभाग के समूह 'घ' के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-10/2020/सा-3-221/ दस-2020-26/98 दिनांक 15-05-2020 द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि समूह 'घ' के सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण कार्यालयाध्यक्षों के स्थान पर मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन कार्यालयों द्वारा किया जायेगा।

2- शासनादेश संख्या-सा-3-1338/दस-912/85 दिनांक 16-07-1985 द्वारा पुलिस विभाग के समूह 'ख' एवं 'ग' के कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण का कार्य वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय को प्रतिनिधानित किया गया। शासनादेश संख्या-सा-3-697/दस-26/98 दिनांक 08-10-1999 द्वारा समूह 'ख' एवं 'ग' के समस्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण का कार्य मण्डलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेशन को सौंपा गया परन्तु शासनादेश संख्या-सा-3-1792/दस-26/98 दिनांक 15 नवंबर, 2000 द्वारा पुलिस विभाग के समूह 'ख' एवं 'ग' के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण का कार्य मण्डलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन से हटाकर वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को पुनः प्रतिनिधानित किया गया।

इस प्रकार, सम्प्रति पुलिस विभाग के समूह 'ख' एवं 'ग' के कार्मिकों की पेंशन वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय द्वारा पूर्ववत् स्वीकृत की जा रही है जबकि अन्य सरकारी विभागों के समूह 'ख ' एवं 'ग ' के कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण मण्डलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेशन द्वारा किया जा रहा है ।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पुलिस विभाग के समूह 'घ' के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का भी निस्तारण वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जायेगा।

4- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा ऐसे प्रकरण जिनमें समूह 'घ' का कोई कर्मचारी इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व सेवानिवृत्त हुआ हो परंतु उसका पेंशन भुगतान आदेश इस शासनादेश के निर्गत होने तक जारी न किया गया हो, भी इस आदेश से आच्छादित होंगे।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्याः 17/2020/सा-3-465(1)/दस-2020-26/98 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (आडिट), उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, इंदिरा भवन, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

पुष्पराज
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in